छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
डी०के०एस० भवन, रायपुर 492001

:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक: 15/6/2007

क्र0/ 2426 /209–190/2006/14–3 :: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2007 के नियम 3 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, "प्रबंध संचालक", छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड को विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने, नवीकृत करने या करने से इंकार करने के प्रयोजन के लिये प्राधिकारी/अधिकारी अधिसूचित करती है ।

प्रबंध संचालक
मण्डी बोर्ड
Add. dir
D.D.(P)
22/06/07

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

15.6.07
(प्रदीप कुमार दवे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

पृष्ठा. क्र0/2427/209–190/2006/14–3 रायपुर, दिनांक: 15/6/2007

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
2. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ0ग0)।
3. स्टाफ आफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन ।
4. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग ।
5. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर।
6. कलेक्टर, जिला..(सर्व)।
7. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।

आवक क्रमांक 922 दिनांक 22/6/07
प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड, रायपुर
जावक क्रमांक 237 दिनांक 22/6/07

15.6.07
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

नियमन
23/6/07

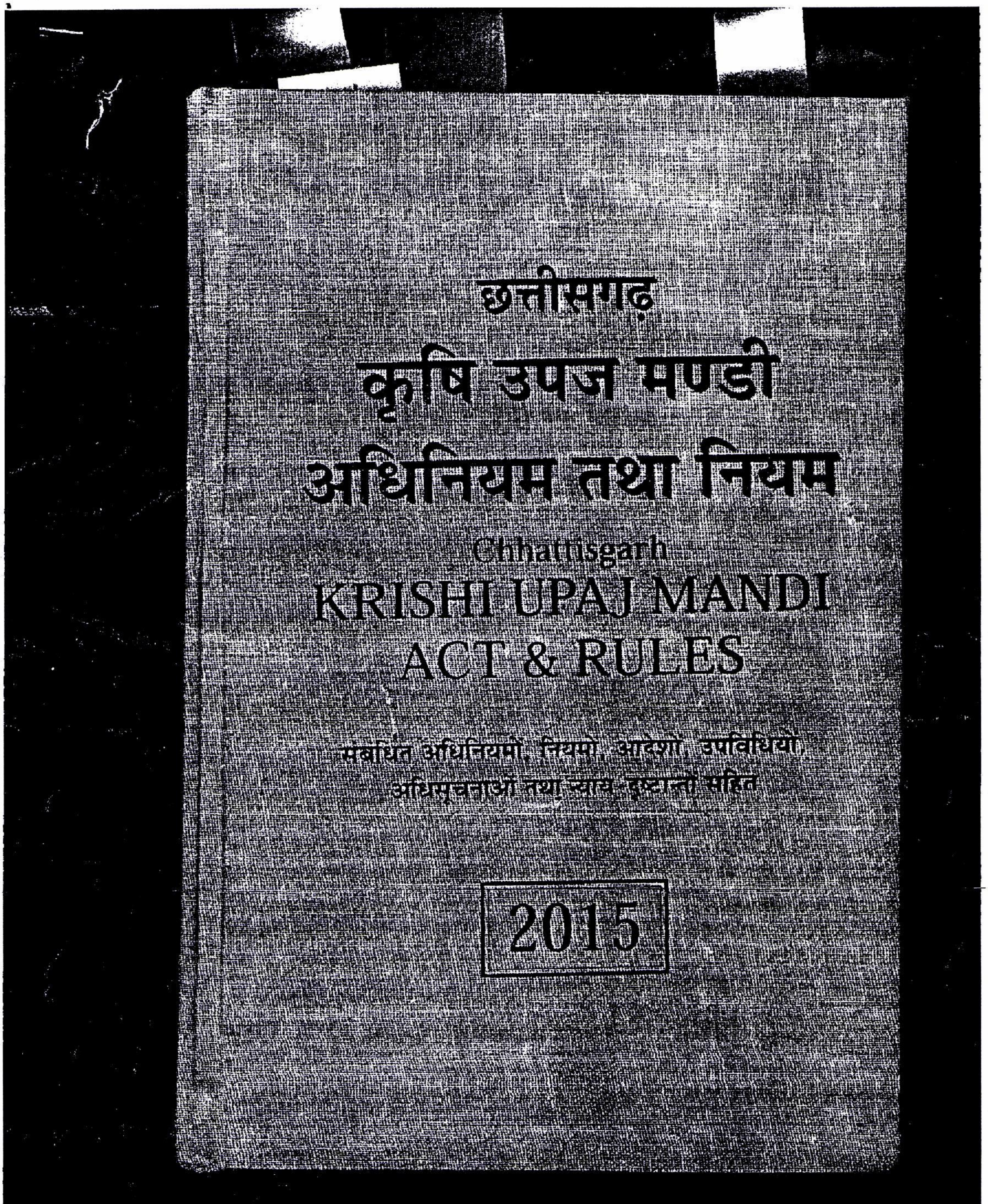
छत्तीसगढ़
कृषि उपज मण्डी
अधिनियम तथा नियम
Chhattisgarh
KRISHI UPAJ MANDI
ACT & RULES
संबंधित अधिनियमों, नियमों, आदेशों, उपविधियों,
अधिसूचनाओं तथा न्याय-दृष्टान्तों सहित
2015

to deputation allowance
· as the Director may by
pecial order, specify; and

:d by such other terms
ons including disciplin-
as the Director may, by
special orders, specify.]

\PTER VI
on of Trading
tion of persons oper-
area.- No person shall,
y notified agricultural
in the market area as
nt, trader, [1][broker,][1]
mal, surveyor, ware-
er or occupier of pro-
g factories or [2][Farmer
ation or operator of pri-
or operator of private
or operator of private
yards or Terminal Mar-
such other market func-
ccordance with the pro-
and the rules and bye-
ıder.
o grant registration.-
specified in section 31
:rate in the market area
market committee for
ion or renewal there of
d within such period as
. by bye-laws.
ch application shall be
uch fee as the Director
he limits prescribed,
alf.

(3) मंडी समिति पंजीयन मंजूर कर सकेगी या उसका नवीकरण कर सकेगी या लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, पंजीयन को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगी;

[1][परन्तु यदि कि मण्डी समिति, पंजीयन की मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर पंजीयन मंजूर करने में या पंजीयन का नवीकरण करने में चूक करती है, तो यह समझा जायेगा कि पंजीयन यथास्थिति मंजूर कर दी गई है या उसका नवीकरण कर दिया गया है।]

[2][परन्तु यह और भी यदि किसी आवेदक के विरुद्ध मण्डी समिति के शोध्य, जिनके अन्तर्गत छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 के अधीन शोध्य भी आते हैं, बकाया हैं तो पंजीयन नवीकृत नहीं की जाएगी :

परन्तु यह भी कि कोई भी पंजीयन किसी अवयस्क को मंजूर नहीं की जाएगी।]

(4) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई समस्त पंजीयन इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन होंगी।

32- [3][**क. एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए पंजीयन** - (1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति जो एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में कार्य करना चाहता हो, पंजीयन की मंजूरी या उसके नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे प्राधिकारी/अधिकारी को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी शर्तों पर, जैसी की नियमों में विहित किया जाए, आवेदन करेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी पंजीयन मंजूर कर सकेगा या उसका नवीनीकरण कर सकेगा या लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से पंजीयन को मंजूर करने या उसका नवीनीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(3) The market committee may grant or renew the registration or for reasons to be recorded in writing refuse to grant or renew the registration:

[1][Provided that if the market committee fails to grant or renew a registration within a period of six weeks from the date of receipt of application therefor the registration shall be deemed to have been granted or renewed, as the case may be.]

[2][Provided further that the registration shall not be renewed, if any Mandi committee dues including dues under the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktion Ki Sahayata Adhiniyam, 1970 are outstanding against the applicant:

Provided also that no registration shall be granted to a minor].

(4) All registration granted or renewed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws mademe thereunder.

"32-[3][A Registration for more than on market area" (1) Every person specified in section 31 who desired to operate in more than one market areas, shall apply to such authority/ Officer notified by the State Government for agent of a registration or renewal thereof in such manner and within such period and on such condition as may be prescribed in the rules.

(2) The Authority/ Officer notified by the State Government may grant all renew the registration or for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew the registration.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) अन्तःस्थापित।
3. छ.ग. अधिनियम क्र. 9 सन् 2006, दिनांक 10-2-2006 से अन्तःस्थापित।

(3) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीनीकरण की गई समस्त पंजीयन इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए होंगे।][3]

[1][32 - ख. **निजी मंडी प्रांगण/ निजी उप-मण्डी प्रांगण तथा निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना के लिए पंजीयन**-(1) ऐसा व्यक्ति/ संगठन/ किसान उत्पादक संगठन, जो मंडी क्षेत्र में निजी मंडी प्रांगण/ निजी उप- मण्डी प्रांगण/ निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण स्थापित करना चाहता हो, पंजीयन या उसके नवीनीकरण के लिए बोर्ड को, ऐसी रीति में तथा कालावधि के भीतर और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि नियमों में विहित किये जायें, आवेदन करेगा।

(2) बोर्ड, पंजीयन स्वीकृत कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा या अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, पंजीयन को स्वीकृत करने से या उसके नवीकरण करने से, इंकार कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन स्वीकृत या नवीकृत किये गये समस्त पंजीयन, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उपबंधो के अध्यधीन होंगे।][1]

33. **पंजीयन रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति.**—(1) उपधारा (4) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए मण्डी समिति, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी पंजीयन को निलंबित या रद्द कर सकेगी—

(क) यदि पंजीयन जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त की गई हो; या

(ख) यदि उस पंजीयन का धारक या कोई सेवक या उसकी (पंजीयन धारक की) अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति पंजीयन के निबंधनों या शर्तों में से किसी भी निबंधन या शर्त का भंग करता है; या

(3) All registration granted or renewed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye - laws made there under newed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye- laws made there under.][3]

[1][32- B. **Registration for establishment of private market yard/ private sub- market yard and private farmer consumer yard.**-

(1) Every person/ organization/ farmer producer organization, who desires to establish private market yard/ private sub- market yard/ private farmer consumer yard in the market area, shall apply to the Board of registration or renewal thereof in such manner and within such period and on such conditions as may be prescribed in the rules.

(2) Board may grant or renew the registration or for reasons to be recorded in writing refuse to grant or renew the registration.

(3) All registration granted or renewed under this section shall be sunject to the provisions of the Act and the rules and bye-laws made there under.][1]

33. **Power to cancel or suspend Registration.**- (1) Subject to the provisions of sub-section (4) a market committee may, for reason to be recorded in writing, suspend or cancel a registration—

(a) if the registration has been obtained through willful misrepresentation or fraud; or

(b) if the holder of the registration or any servant or any one acting on his behalf with his express or implied permission, commits a breach of any of the terms or conditions of the registration; or

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अन्तः स्थापित।
3. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10 फरवरी 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

नया रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्रमांक ई 7-43/2004/1/2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-19 के उप नियम (1) एवं (2) के प्रावधान अनुसार श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. को विभागीय आदेश दिनांक 26-12-2013 द्वारा दिनांक 01-08-2013 से दिनांक 30-09-2015 (02 वर्ष, 02 माह) तक स्वीकृत असाधारण अवकाश में से दिनांक 01-08-2013 से दिनांक 31-07-2014 (01 वर्ष) तक की अवधि को निम्नानुसार अवकाश में परिवर्तित किया जाता है :—

क्र.	अवकाश का प्रकार	अवधि	दिवस
1.	अर्जित अवकाश	01-08-2013 से 28-03-2014	240
2.	अर्द्धवेतन अवकाश	29-03-2014 से 31-07-2014	125
		कुल दिवस	**365**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्रमांक/5192/एफ-20/15/2014/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्र के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2006 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ:) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारुप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारुप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, कक्ष क्र. एस 4-4, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारुप

उक्त नियमों में,—

नियम 4 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(क) व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/आढ़तिया/सर्वेक्षक/भंडारणकर्मी/गोडाउनकीपर — रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्रमांक/5192/एफ-20/15/2014/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/5192/एफ-20/15/2014/14-2 रायपुर, दिनांक 14-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

New Raipur, the 14th December 2015

No./5192/F-20/15/2014/14-2.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Special Licence for more than One Market Areas) Rules, 2006, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub-section (2) of Section 79 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is hereby published as required by sub-section (1) of the Section 79 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Additional Chief Secretary and Agriculture Production Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Agriculture, Room No. S-4-4, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENTS

In the said Rules :—

For clause (a) of rule 4, the following shall be substituted, namely :—

"(a)	Trader/Processor/Commission Agent/ Surveyor/Warehouseman/Godown Keeper.	Rs. 25,000/- (Rupees twenty five thousand)"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानंदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ-19-12/2015/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा 3 (2) के तहत श्री तौकीर रजा, ललिता चौक, मोमिनपारा, तात्यापारा वार्ड, रायपुर को उनके पदग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. लेवे, अवर सचिव.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर–492006
फोन–0771–4240501 फैक्स–4094472, email-mdcgmandiboard@gmail.com, website-www.samb.cg.gov.in

क्रमांक / बी–4 / 1 / 591(2) / 2016–17 / 5603 रायपुर, दिनांक 15/12/ 2016

प्रति,

Managing Director
Small Farmers Agribusiness Consortium
5th floor, NCUI Auditorium
August Kranti Marg, Hauz khas
New Delhi - 110016

विषय :– Implementation of National Agriculture Market (NAM) unified licence-reg.

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक SFAC/1-1/2/2015-ABU (NAM) 4270 दिनांक 11.11.2016 ।

––0––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बाजार अंतर्गत एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए पंजीयन हेतु सक्षम प्राधिकारी, शर्ते, सेक्यूरिटी डिपाजिट, पंजीयन फीस तथा नियम एवं प्रपत्रों की जानकारी चाही गई है।

उपरोक्त चाही गई जानकारी पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(कार्यवाही प्रबंध संचालक महो.द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अपर संचालक
छ0ग0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
रायपुर–(छ.ग)

पृ.क्रमांक / बी–4 / 1 / 591(2) / 2016–17 / 5604 रायपुर, दिनांक 15/12/ 2016,

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।

अपर संचालक
छ0ग0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
रायपुर–(छ.ग.)

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2007—चैत्र 20, शक 1929

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक/1395/209-190/2006/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (छः) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है जो उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :—

नियम

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2006 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2\. **परिभाषाएं** — इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(1) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कृषि –उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973);

(2) "प्रशासनिक मंडी समिति" से अभिप्रेत है, धारा 11 के अधीन गठित वह मंडी समिति जिसे धारा 32–क के अधीन विशेष अनुज्ञप्तिधारक मंडी कृत्यकारी के लिये घोषित विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि–उपज के विपणन पर नियंत्रण का पूर्ण अधिकार प्रदत्त है;

(3) "अपर संचालक" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अतिरिक्त संचालक ;

(4) "केन्द्र प्रभारी" से अभिप्रेत है, विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि–उपज का उचित विनियमन तथा नियंत्रण करने के लिये प्रशासनिक मंडी समिति का सचिव या उप संचालक द्वारा पदस्थ किया गया अधिकारी / कर्मचारी;

(5) "वाणिज्यिक संव्यवहार" से अभिप्रेत है, ऐसा संव्यवहार, जो मंडी प्रांगण के भीतर या मंडी प्रांगण के बाहर, मंडी क्षेत्र के भीतर या मंडी क्षेत्र के बाहर, राज्य के भीतर या राज्य बाहर व्यापारी द्वारा कृषि उपज के उपभोक्ताओं को विक्रय, क्रय अनुषांगिक विक्रय–क्रय हेतु प्रसंस्करण, विक्रय हेतु भण्डारण के संबंध में हो जिसमें राज्य की किसी मंडी समिति को मंडी फीस का भुगतान पूर्व में ही कर दिया गया हो और मंडी फीस के भुगतान से संबंधित जानकारी विहित प्रारूप में संबंधित मंडी समिति को प्रस्तुत कर दी गई हो;

(6) "उप संचालक" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया छत्तीसगढ़ राज्य, कृषि विपणन बोर्ड का उप–संचालक;

(7) "संचालक" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक;

(8) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(9) "कदाचरण" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार, प्रबंध संचालक, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी, उपसंचालक, मंडी समिति द्वारा भेजी गई जानकारी जानबूझकर प्राप्त नहीं करना या प्राप्त करने से इंकार करना या बोर्ड, प्रबंध संचालक या प्राधिकृत अधिकारी, मंडी समिति द्वारा जारी किये गये आदेश / निर्देश की अवहेलना करना या समय–सीमा में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत न करना या अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करना ;

(10) "अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे इन नियमों के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकृत करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(11) "प्राथमिक संव्यवहार" से अभिप्रेत है, किसी कृषक या व्यापारी द्वारा अधिसूचित कृषि उपज को विक्रय, क्रय, भण्डारण या प्रसंस्करण के लिये प्रथम बार मंडी क्षेत्र में लाना, जिस पर कि किसी मंडी क्षेत्र में देय मंडी फीस वसूल न की गई हो, कृषि उपज के उत्पादक और व्यापारी के बीच प्रथम बार किया गया संव्यवहार, प्राथमिक संव्यवहार समझा जाएगा और उस कृषि–उपज पर मंडी फीस का भुगतान करने का उत्तरदायित्व क्रेता व्यापारी पर होगा;

(12) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ;

(13) "द्वितीयक संव्यवहार" से अभिप्रेत है ऐसा संव्यवहार जो किसी मंडी प्रांगण या किसी मंडी क्षेत्र में नीलामी या सौदे और शुल्क के भुगतान द्वारा किसी अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय या क्रय के पश्चात व्यापारी या एजेंसी द्वारा ऐसे अधिसूचित कृषि उपज जो पूर्व से ऐसे क्षेत्र में मण्डी समिति के रूप में उपविधि द्वारा विहित हो, उपभोक्ताओं को विक्रय या क्रय के पश्चात् व्यापारी या एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु वाणिज्यक संव्यवहार के संबंध में हो ;

(14) "विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र" से अभिप्रेत है मंडी समिति का ऐसा क्षेत्र, जिसे धारा 32–क के अधीन अनुज्ञप्ति धारक के लिये अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये घोषित किया गया है ;

(15) "विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र" से अभिप्रेत है विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का कारोबार करने के लिये स्थापित किया गया क्रय केन्द्र;

(16) "विशेष अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है अधिसूचित कृषि–उपज का कारबार करने के लिये अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा धारा 32–क की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति ;

(17) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई है किन्तु परिभाषित नहीं की गई है, का वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है.

अध्याय –दो

3. **अधिसूचित प्राधिकारी** – (1) राज्य सरकार विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने, नवीकृत करने या देने से इंकार करने के प्रयोजन के लिये प्राधिकारी या अधिकारी अधिसूचित करेगी .

(2) व्यक्ति, जो धारा 32–क के अधीन एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि–उपज का कारबार करने का आशय रखता है, उसे अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी से विशेष अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना होगा :

परन्तु विशेष अनुज्ञप्ति केवल उसी व्यक्ति को एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि–उपज का कारबार करने के लिये उन शर्तों के अधीन दी जाएगी कि वह किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादकों से अधिसूचित कृषि उपज से कम 1,00,000 (एक लाख) टन क्रय करेगा .

अध्याय –तीन
विशेष अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना

4. **अनुज्ञप्ति फीस** – अनुज्ञप्ति फीस विहित आवेदन–पत्र के साथ संबंधित कृत्यों के लिये आवेदक द्वारा नीचे दिये गए अनुसार देय होगी –

(क)	व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/आढ़तिया/ सर्वेक्षक/भंडारणकर्मी/गोडउनकीपर	रू. 2,00,000/– (दो लाख रूपये)
(ख)	दलाल/परिवहनकर्ता	रू. 2,0,000/– (बीस हजार रूपये)
(ग)	तुलइया/बीमस्केल द्वारा	रू. 5,000/– (पांच हजार रूपये)
(घ)	तुलइया/इलेक्ट्रानिक तौल कांटाधारक/प्रचालक	रू. 10,000/– (दस हजार रूपये)

5. **अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन**– (1) अधिनियम की धारा–31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति, जो एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में कार्य करने का इच्छुक है अनुज्ञप्ति के लिये नियम–3 के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को विहित प्ररूप–1 में आवेदन करेगा. आवेदन प्ररूप विहित फीस के भुगतान पर बोर्ड के मुख्यालय की भण्डार शाखा (स्टोर सेक्शन) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.

(2) विहित अनुज्ञप्ति फीस का क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट, जो छत्तीसगढ़ कृषि विपणन बोर्ड रायपुर को देय हो, आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न किया जायेगा.

(3) आवेदक को आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :–

(एक) बैंक गारन्टी, जो आवेदक द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी के पक्ष में हस्ताक्षरित प्रेषित हो .

(दो) एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय हेतु मंडी क्षेत्रों की सूची तथा उनका पृथक अभिन्यास (ले–आउट), भण्डारण स्थल, गोदाम की क्षमता, कार्यालय का पता तथा प्रत्येक मंडी क्षेत्र में पदस्थ सक्षम कर्मचारी की [illegible] हैसियत के साथ उनका नाम/पिता का नाम .

(तीन) आवेदक व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/आढ़तिया तथा उनके भागीदारों का नाम, मंडी क्षेत्र में [illegible] की सत्यापित छायाप्रति

(चार) पिछले वर्ष के आयकर/वाणिज्यिककर के भुगतान संबंधी सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र विवरणी (रिटर्न), बैलेन्सशीट तथा पिछले वर्ष के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेंट की लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट की छायाप्रतियां .

(पांच) बैंक खातों की सत्यापित छायाप्रति के साथ विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में के बैंक खातों की सूची

(छः) अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने हेतु उपलब्ध कार्यशील पूंजी/स्थायी निधि अंशपूंजी की अद्यतन ब्यौरे .

(सात) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों की संबंधित मंडी समितियों के सचिव का अमांग/अनापत्ति प्रमाण–पत्र.

(आठ) प्ररूप–दो पर घोषणापत्र .

(नौ) नकद के रूप में बोर्ड की लेखा शाखा में जमा की गई प्रतिभूति की धन संबंधी रसीद (मनी रिसीट)/बैंक गारंटी .

6. **विशेष अनुज्ञप्ति संबंधी प्रक्रिया** – (1) अपूर्ण आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं होंगे और कमियों/त्रुटियों को सात दिन की कालावधि के भीतर लिखित में आवेदक को सूचित किया जाएगा. यदि आवेदन–पत्र में दर्शित कमियों/त्रुटियों का आवेदक द्वारा 15 दिन के भीतर निराकरण नहीं किया जाता है तब ऐसा आवेदन–पत्र स्वमेव अस्वीकृत हो जाएगा तथा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

(2) अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र की संवीक्षा के [illegible] उल्लिखित मंडी क्षेत्रों

(3) अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी आवेदन–पत्र की प्राप्ति के 60 दिन की कालावधि के भीतर विशेष अनुज्ञप्ति प्रदाना कर सकेगा या उसे नवीकृत कर सकेगा या लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसे नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा.

(4) विशेष अनुज्ञप्ति के लिये प्राप्त आवेदन–पत्र की अस्वीकृति की दशा में अनुज्ञप्ति फीस और अन्य प्रतिभूति निक्षेप की रकम, 15 दिन के भीतर आवेदक को वापस कर दी जाएगी

(5) प्रदान की गई विशेष अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में और क्रय केन्द्रों पर ही प्रभावी होगी . अन्य मंडी क्षेत्रों और उनके अन्य क्रय केन्द्रों में अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय–क्रय को नियमों का उल्लघंन माना जाएगा :

परन्तु विशेष अनुज्ञप्ति धारक/व्यापारी द्वारा विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के मंडी/उपमंडी प्रांगण में अधिसूचित कृषि–उपज का क्रय और वाणिज्यिक संव्यवहार के अधीन अधिसूचित कृषि–उपज का क्रय–विक्रय, मंडी के अन्य अनुज्ञप्तिधारक/व्यापारी के समान ही अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा . उपविधियों में विहित उपबंध ऐसे समस्त क्रय, विक्रय, प्रसंस्करण के लिये विशेष अनुज्ञप्ति के धारक पर समान रूप से लागू होंगे .

7. प्रतिभूति — अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी सदैव इस बात की जांच करेगा कि आवेदक उसके घोषणा प्ररूप में यथा–उल्लिखित दैनिक क्रय क्षमता की मात्रा से परे अधिसूचित कृषि–उपज का क्रय नहीं करे और यदि अनुज्ञप्तिधारक उसके द्वारा घोषित की गई सीमा से अधिक क्रय करता है तो अनुज्ञप्तिधारक, दैनिक क्रय क्षमता से अधिक के क्रय के लिये अतिरिक्त प्रतिभूति की रकम तुरन्त प्रस्तुत करेगा. अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह संबंधित विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में ऐसी कृषि उपज के क्रय तथा प्रेषण को प्रतिसिद्ध करे और वह संबंधित मंडी क्षेत्र के सचिव को ऐसे अनुज्ञप्तिधारक के अधिसूचित कृषि उपज के क्रय और प्रेषण को तुरन्त प्रतिसिद्ध करने का निदेश देगा .

परन्तु राज्य सरकार के उपक्रम के लिये एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने के लिये विशेष अनुज्ञप्ति के आवेदन–पत्र के साथ प्रतिभूति की रकम जमा करना आवश्यक नही होगा .

परन्तु यह और भी कि ऐसे उपक्रम के लिये विक्रेताओं को धारा 37 के उपबंधों के अधीन उनकी अधिसूचित कृषि उपज का भुगतान करना आवश्यक होगा .

8. **प्रतिभूति का निपटारा** — (क) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा एफ.डी.आर. या बैंक गारण्टी के रूप में प्रतिभूति निक्षेप की रकम बोर्ड खाते में जमा रहेगी . यदि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा देय मंडी फीस और निराश्रित शुल्क का भुगतान नही किया गया है तो नियम 7 के अधीन एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी के रूप में बोर्ड में प्रतिभूति निक्षेप की शेष रकम आवेदक को, अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी की अभिरूचि से वापस की जाएगी । प्रतिभूति निक्षेप की शेष रकम जो बोर्ड में नकद, एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी के रूप में जमा है, मांग की जाने पर, विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के सचिवों से अमांग/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर वापस की जाएगी .

(ख) यदि अनुज्ञप्तिधारक उसकी विशेष अनुज्ञप्ति को समर्पित करने की वांछा करता है तो अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी, उचित जांच के पश्चात जमा की गई प्रतिभूति रकम का प्रतिसंदाय करने या प्रतिसंदाय न करने या भागतः प्रतिसंदाय करने का विनिश्चय कर सकेगा . अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा अनुज्ञप्तिधारक पर बाध्यकारी होगा .

9. **अनुज्ञप्ति की कालावधि** — मूलतः विशेष अनुज्ञप्ति की कालावधि, उसको प्रदान करने की तारीख से 5 वर्ष की होगी यदि अनुज्ञप्तिधारक—

(एक) अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियमों तथा उपविधियों का उल्लंघन करता है, या

(दो) बोर्ड, प्रबंध संचालक और विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अधिसूचित अधिकारी/प्राधिकारी या मंडी समिति के सचिवों के निर्देशों का अवज्ञा करता है तो, अनुज्ञप्ति, उसका अवसान होने के पूर्व किसी भी समय सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निलम्बित या रद्द की जा सकेगी.

10. **अनुज्ञप्ति जारी करना** – अनुज्ञप्तिधारक कारबार के मुख्यालय की स्थापना पर अनुज्ञप्ति की मूल प्रति सहयोगी स्थापना और विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के क्रय केन्द्र पर उसकी अभिप्रमाणित फोटो–प्रति संप्रदर्शित करेगा. इसकी अभिप्रमाणित फोटोप्रति विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र की संबंधित मंडी समिति को भी प्रस्तुत की जायेगी.

11. **विशेष, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण** – (क) अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द किया जा सकेगा, यदि अनुज्ञिप्तधारक –

(1) ने जानबूझकर, दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की है या उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति भंग कारित करता है या अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबंधनों या शर्तों का उल्लंघन करता है; या

(2) अन्य अनुज्ञप्तिधारकों के साथ मिलकर किसी विधि के द्वारा लेखबद्ध कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे किसी उपज का विपणन प्रविरत, स्थगित हो गया है या रूक गया है; या

(3) दिवालिया हो गया है, या

(4) नियमों और उपविधियों के अधीन न्यायालय, प्रबंध संचालक या मंडी समिति द्वारा दोषी साबित हो गया है; या

(5) किसी मंडी समिति, कृषकों, बोर्ड के हितों के विरूद्ध आचरण करता है; या

(6) अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अधीन कदाचार के लिये दोषी साबित किया गया है या

(7) 30 दिन की अधिकतम कालावधि के भीतर देय मंडी फीस, निराश्रित शुल्क का ब्याज के साथ भुगतान नहीं किया गया है; या

(8) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के किसानों/विक्रेताओं को उनसे क्रय की गई कृषि उपज का भुगतान विहित कालावधि के भीतर नहीं किया है; या

(9) नोटिस/मांग पत्र में उल्लिखित कालावधि के भीतर बोर्ड या प्रशासनिक मंडी समिति के पास देय रकम जमा न करते हुए भुगतान में व्यतिक्रम किया है; या

(10) विहित समय–सीमा के भीतर यथास्थिति बोर्ड या मंडी समिति के कार्यकाल में विहित नियत कालिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की है; या

(11) बोर्ड या मंडी समिति के हितों के विरूद्ध कार्य किया है; या

(12) अधिसूचित कृषि उपज की तुलाई या हम्माली के लिये अप्राधिकृत व्यक्तियों को लगाया है; या

[illegible] की तुलाई में अधिक तौलते हुये उसे हानि पहुंचाते हुए पाया गया

(14) अधिसूचित कृषि उपज की यथा अपेक्षित न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय नहीं किया है:

परन्तु किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित करने या रद्द करने के पूर्व अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर (कम से कम पंद्रह दिन) दिया जायेगा . यदि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा विहित समय–सीमा के भीतर कारण बताओ सूचना का जवाब नहीं दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि अनुज्ञप्तिधारक कारण बताओ सूचना में दर्शित आरोपों से सहमत हैं और अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को एकपक्षीय विनिश्चय करने का अधिकार होगा .

(ख) कारण बताओ सूचना का जवाब प्राप्त होने पर, अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी द्वारा उसकी संवीक्षा की जाएगी . संवीक्षा और व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् यदि अनुज्ञप्ति निलंबित/नामंजूर की जाती है तो अनुज्ञप्ति को निलंबित/नामंजूर करने का आदेश, स्पष्ट कारणों को उल्लेखित करते हुये, पारित किया जाएगा . पारित किये गये आदेशों की प्रति समस्त विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों के सचिवों तथा संभागीय उपसंचालक को अनुपालन के लिये भेजी जाएगी

12. **अनुज्ञप्ति के इंकार, नामंजूर या निलंबन की सूचना** – अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी द्वारा विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण करने से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने के आदेश की सूचना संबंधित व्यक्ति को निम्नानुसार दी जाएगी :–

(क) व्यक्तिगत रूप से उसको ऐसे आदेश की एक प्रति परिदत्त करके ; या.
(ख) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे आदेश की एक प्रति उसे भेजकर

अध्याय–चार

अपील

13. विशेष अनुज्ञप्ति को प्रदान करने से इंकार करने या विशेष अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा पारित किा गया आदेश अंतिम होगा .

अध्याय–पांच

विशेष अनुज्ञप्ति के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय–क्रय की शर्ते

14. **विक्रय–क्रय का स्थान** – विशेष अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय–क्रय, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में और मंडी/उपमंडी तथा अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों पर ही किया जा सकेगा . परन्तु विशेष अनुज्ञप्ति के धारक पर भी नियम 6 के उपनियम (5) के परन्तुक के उपबंध लागू होंगे .

15. **करार का निष्पादन** – (1) अनुज्ञप्तिधारक, विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में क्रय केन्द्रों पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय के लिये विक्रेता के पक्ष में तीन प्रतियों में प्ररूप–5 में एक करार हस्ताक्षरित करते हुये निष्पादित करेगा . करार की एक प्रति क्रेता द्वारा प्रतिधारित की जाएगी, एक प्रति विक्रेता को दी जाएगी और शेष एक प्रति मंडी समिति के सचिव या उसके द्वारा पदस्थ केन्द्र प्रभारी को प्रस्तुत की जाएगी .

(2) करार के निष्पादन के पश्चात क्रेता व्यापारी, नाप और तौल विभाग द्वारा प्रमाणित और सत्यापित विद्युत तौल कांटे (वे ब्रिज) पर विक्रेता की कृषि उपज को तुलवाएगा .

(3) क्रेता द्वारा विक्रेता के पक्ष में प्ररूप–8 में एक विक्रय–वाउचर तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा और विक्रेता को उपज के मूल्य का देय भुगतान करते हुये करार के अनुसार उसके हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे .

16. **भुगतान के संबंध में विक्रेता की शिकायतों का निपटारा** – यदि विशेष अनुज्ञप्ति के धारक और विक्रेता के बीच क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की दर, तौल, मूल्य और/या भुगतान के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है तो संबंधित मंडी क्षेत्रों की मंडी समिति के सचिव को शिकायत प्रस्तुत की जाएगी तथा इसकी एक प्रति संभागीय उप–संचालक को दी जाएगी . सचिव, प्रकरण की समुचित जांच के पश्चात् सात दिन की अवधि के भीतर शिकायत का निपटारा करेगा . किन्तु विक्रेता को भुगतान के संबंध में शिकायत होने की दशा में, सचिव तुरन्त कार्यवाही करेगा और प्रबंध संचालक तथा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को लिखित में तुरन्त सूचना देगा .

17. **अनुज्ञप्तिधारक का कर्तव्य** – विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के क्रय केन्द्रों पर विशेष अनुज्ञप्तिधारक क्रेता व्यापारी –

(क) अधिसूचित कृषि उपज को तौलने के लिये अपेक्षा के अनुसार उचित और सही विद्युत तौल–कांटा (वे–ब्रिज) स्थापित करेगा . तौल–कांटे (वे–ब्रिज) का प्रचालक, मंडी समिति का अनुज्ञप्तिधारक होना चाहिए .

(ख) विक्रेताओं के लिये आवश्यक प्रसुविधाओं जैसे प्रकाश, शेड, पीने का पानी और बैठने/विश्राम करने के लिये उचित स्थान उपलब्ध कराएगा .

(ग) विक्रेता के लिये उपयुक्त भुगतान काउन्टर स्थापित करेगा .

(घ) कम से कम 3'x3' आकार का एक साइन–बोर्ड लगाएगा, जिसमें क्रय केन्द्र का नाम, अनुज्ञप्तिधारी फर्म का नाम, अनुज्ञप्ति क्रमांक और कारबार उल्लिखित किया जाएगा .

18. **मंडी फीस की वसूली और उसका भुगतान** – देय मंडी फीस का भुगतान, मंडी समिति के कार्यालय में जमा किया जाएगा और विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज के क्रय पर विशेष अनुज्ञप्तिधारक द्वारा पावती प्राप्त की जाएगी.

19. **अधिसूचित कृषि उपज का प्रेषण, विक्रय और प्रसंस्करण** – विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में प्रत्येक क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य का विक्रेता को पूर्ण भुगतान करने और मंडी फीस और निराश्रित शुल्क का भुगतान मंडी समिति को करने के पश्चात ही अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज का विक्रय, प्रसंस्करण या प्रेषण, अधिसूचित कृषि उपज का प्रेषण करने के लिये विशेष अनुज्ञप्ति के धारक को धारा 19 की उपधारा (6) के उपबंधों तथा उपविधियों के अनुसार मंडी समिति द्वारा जारी अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करना होगा .

20. **विशेष अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना** –

(1) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा, विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज के कारबार से संबंधित नियत कालिक विवरणियां, मंडी समिति, संभागीय उपसंचालक और बोर्ड के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी . अनुज्ञप्तिधारक, प्रबंध संचालक और ... अधिकारी द्वारा समय–समय पर यथा अपेक्षित समस्त अभिलेख

(2) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के कारबार से संबंधित पाक्षिक विवरणियां प्रशासनिक मंडी समिति के सचिव को प्ररूप छह में प्रस्तुत की जाएगी . माह की एक तारीख से पन्द्रह तारीख की अवधि की विवरणी पच्चीस तारीख तक और सोलह तारीख से माह की समाप्ति तक की विवरणी आगामी माह के दसवें दिन तक प्रस्तुत की जाएंगी . यदि पाक्षिक विवरणी, विहित समय–सीमा में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो मंडी समिति सचिव / उपसंचालक द्वारा पदस्थ केन्द्र प्रभारी द्वारा अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जायेगें . समस्त अधिसूचित कृषि उपज के क्रय पर देय मंडी फीस का भुगतान किये बिना कृषि उपज का विक्रय, प्रेषण और प्रसंस्करण प्रतिषिद्ध रहेगा .

(3) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अप्रैल से 31 मार्च तक के कारबार के पूर्ण ब्यौरे प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक मंडी के सचिव को प्रस्तुत किये जाएंगे .

(4) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के क्रय केन्द्र पर अधिसूचित कृषि उपज के दैनिक क्रय के ब्यौरे, अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्ररूप–7 में एक रजिस्टर में रखे जाएंगे. अनुज्ञप्तिधारक, मंडी समिति द्वारा क्रय केन्द्र पर पदस्थ केन्द्र प्रभारी से रजिस्टर का निरीक्षण करवाएगा. विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र, अन्य मंडी क्षेत्रों और राज्य से बाहर कृषि उपज का क्रय और उसके ब्यौरे, उपबंध–1 के अनुसार होंगें और उपबंध–2 में यथा उपदर्शित विक्रय / प्रेषण के संबंध में पाक्षिक विवरणी, यथास्थिति, फर्म के अधिकारी या प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.